

फर्द अहकाम

नियम- 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा


स्टेट

बनाम

अमित आदि

किस्म मुकदमा :- 177 आरटीएक्ट

मुकदमा नम्बर :- 160 / 25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
.06.2025	<p>आज यह वाद जरिये राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रकरण/वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.06.2025 को पेश हो।</p>	
31/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई फील्डिंग अधिकारी 13/6/25 को पेश हो। दिनांक 1/7/25 को पेश हो।</p>	
01/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई फील्डिंग अधिकारी P.D.O. द्वारा को पेश हो। दिनांक 9/7/25 को पेश हो।</p>	
9/7/25	<p>वकील बादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.... दिनांक 28/7/25 को पेश हो।</p>	
28/7/25	<p>वकील बादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.... दिनांक 2/11/25 को पेश हो।</p>	
4/11/25	<p>वकील बादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.... दिनांक 18/11/25 को पेश हो।</p>	
18/11/25	<p>वकील/राजपैरोकार उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 ग 3 व 5 ग 10 की ओर से श्री मुंशीराम गोस्वामी अधिकार द्वारा कवालतनामा पेश किया गया 21.11.25 को पेश किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सं. 4 तलब व क्षेत्र प्रतिवादीगण जवाब दिनांक 21.11.25 को पेश हो।</p>	

21/11/25 वकील / न्यायपालिका
दो: 1. ग्रा. 5 व 5.10 का
पेश किया गया 27.10.25 किया गया। पत्रावली
वास्तविकता / गैर खरसा के परिवर्ती सं. 4
दिनांक 26.11.25 को पेश है

26/11/25 वकील अभ्यास उपदिपन। परिवर्ती सं. 4
को धार से श्री सुधीराम जीलवारी अधिकता
द्वारा नकारनामा समुदाय के गवाकपदक को
किया। TDR रिपोर्ट उपलब्ध है 27.10.
किया गया। पत्रावली का कक्षा सं. 4
1.12.25 को पेश है (५)

01/12/25 पत्रावली पेश हुई। वदस अभ्यास सूची
गई। TDR रिपोर्ट का अवलोकन किया
गया। TDR रिपोर्ट के अनुसार परिवार
मण्डल जबड़ी के खाता संख्या 253/427
में खरसा नम्बर 899/222 कुल रकबा
6.3150 है व खरसा नम्बर 900/222 कुल
रकबा 1.468 है वारानी मौके पर उक्त
रकबा खाली है। चूंकि रिपोर्ट के अनुसार
उक्त रकबा पर किली भी प्रकार से
गैर कृषि कार्य में उपयोग में नहीं
ली जा रही है।

अब अर्जीद्वारा वर्तमान स्तर पर
खारिज किया जाना न्यायोचित है। अर्जीद्वारा
श्री स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर के कम हो कर

क्रम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
फर्द अहकाम की
हुकम की तामील
जारी हुआ

धारिवक इफ्तर हो।


(Bhayrath Ram)